

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
09वॉ तल, सी - विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

एफ. 53 (11) अता0 प्र0-77/द्वि. सत्र (बजट सत्र) 2025/दिविस/श.वि./ 315-317 दिनांक 24.03.2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

विषय:- दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 77, श्री
दिनांक 26.03.2025 को सदन की बैठक हेतु।

संजीव झा

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप-सचिव (सं0 शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियों सहित।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।

उप-सचिव (सं0 शा0)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री संजीव झा

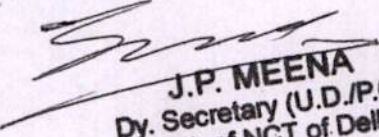
दिनांक : 26.03.2025

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 77

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर																							
क	बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कोई भी नया मकान या बिल्डिंग बनाने का क्या मापदंड है;	बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र सहित दिल्ली नगर निगम के अधीन सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्र में नया भवन बनाने के लिए मापदंड दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और संयुक्त भवन निर्माण उपनियम 2016 द्वारा तय है।																							
ख	पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने अवैध मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए, वार्ड अनुसार विवरण दीजिए;	<table> <tr> <th>वर्ष</th><th>वार्ड संख्या और नाम</th><th>बुकिंग की संख्या</th></tr> <tr> <td rowspan="5">जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022</td><td>6 (कादीपुर)</td><td>18</td></tr> <tr> <td>7 (बुराड़ी)</td><td>56</td></tr> <tr> <td>8 (झड़ौदा)</td><td>37</td></tr> <tr> <td>9 (कमालपुर)</td><td>56</td></tr> <tr> <td>10 (संत नगर)</td><td>39</td></tr> <tr> <td rowspan="4">जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)</td><td>6 (बुराड़ी)</td><td>71</td></tr> <tr> <td>7 (कादीपुर)</td><td>08</td></tr> <tr> <td>9 (संत नगर)</td><td>70</td></tr> <tr> <td>10 (झड़ौदा)</td><td>112</td></tr> </table>	वर्ष	वार्ड संख्या और नाम	बुकिंग की संख्या	जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022	6 (कादीपुर)	18	7 (बुराड़ी)	56	8 (झड़ौदा)	37	9 (कमालपुर)	56	10 (संत नगर)	39	जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)	6 (बुराड़ी)	71	7 (कादीपुर)	08	9 (संत नगर)	70	10 (झड़ौदा)	112
वर्ष	वार्ड संख्या और नाम	बुकिंग की संख्या																							
जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022	6 (कादीपुर)	18																							
	7 (बुराड़ी)	56																							
	8 (झड़ौदा)	37																							
	9 (कमालपुर)	56																							
	10 (संत नगर)	39																							
जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)	6 (बुराड़ी)	71																							
	7 (कादीपुर)	08																							
	9 (संत नगर)	70																							
	10 (झड़ौदा)	112																							
ग	नोटिस जारी करने के बाद इनमें से कितने मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर कार्यवाही की गई;	<table> <tr> <th>वर्ष</th><th>वार्ड , संख्या और नाम</th><th>चलू वर्ष में बुक की गई सम्पत्तियों/पिछले वर्षों में बुक की गई सम्पत्तियों/चल रहे निर्माण पर की गई तोड़फोड़/सीलिंग कार्यवाही की संख्या</th></tr> <tr> <td rowspan="5">जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022</td><td>6 (कादीपुर)</td><td>78</td></tr> <tr> <td>7 (बुराड़ी)</td><td>125</td></tr> <tr> <td>8 (झड़ौदा)</td><td>86</td></tr> <tr> <td>9 (कमालपुर)</td><td>82</td></tr> <tr> <td>10 (संत नगर)</td><td>67</td></tr> <tr> <td rowspan="4">जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)</td><td>6 (बुराड़ी)</td><td>75</td></tr> <tr> <td>7 (कादीपुर)</td><td>29</td></tr> <tr> <td>9 (संत नगर)</td><td>50</td></tr> <tr> <td>10 (झड़ौदा)</td><td>100</td></tr> </table>	वर्ष	वार्ड , संख्या और नाम	चलू वर्ष में बुक की गई सम्पत्तियों/पिछले वर्षों में बुक की गई सम्पत्तियों/चल रहे निर्माण पर की गई तोड़फोड़/सीलिंग कार्यवाही की संख्या	जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022	6 (कादीपुर)	78	7 (बुराड़ी)	125	8 (झड़ौदा)	86	9 (कमालपुर)	82	10 (संत नगर)	67	जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)	6 (बुराड़ी)	75	7 (कादीपुर)	29	9 (संत नगर)	50	10 (झड़ौदा)	100
वर्ष	वार्ड , संख्या और नाम	चलू वर्ष में बुक की गई सम्पत्तियों/पिछले वर्षों में बुक की गई सम्पत्तियों/चल रहे निर्माण पर की गई तोड़फोड़/सीलिंग कार्यवाही की संख्या																							
जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022	6 (कादीपुर)	78																							
	7 (बुराड़ी)	125																							
	8 (झड़ौदा)	86																							
	9 (कमालपुर)	82																							
	10 (संत नगर)	67																							
जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक (परिसीमन के पश्चात वार्ड)	6 (बुराड़ी)	75																							
	7 (कादीपुर)	29																							
	9 (संत नगर)	50																							
	10 (झड़ौदा)	100																							

६	कार्यवाही करने के बाद कितने मकान, दुकान, गोदाम और बिल्डिंग पर दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, कारण सहित विवरण दें;	(घ) एवं (ङ):- इस प्रकार का कोई भी विवरण विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।
ड	क्या दोबारा कंस्ट्रक्शन होने के बाद पुन कोई कार्यवाही की गई; और	
च	यदि नहीं, तो क्या सरकार का संबंधित अफसरो पर कोई कार्यवाही करने का विचार है?	उपरोक्त संदर्भ के साथ नहीं।


J.P. MEENA
 Dy. Secretary (U.D./P.C.)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat
 I.P. Estate, New Delhi-02